संख्या- 181 / 2025 / 964 / चार-2025-1909163

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय,
छतर मंजिल परिसर, एम0जी0 रोड,
कैसरबाग, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2025**

विषयः- पुरातत्व विभाग के संरक्षित स्मारक - डिमरौनी की गढ़ी, झांसी के अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 2649/प्रथम-112ख (58)/2024, दिनांक 28 मार्च, 2025 तथा पत्र संख्या- 2504/प्रथम-112ख (49)/2024, दिनांक 19 मार्च, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा पुरातत्व विभाग के संरक्षित स्मारक - डिमरौनी की गढ़ी, झांसी के अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था नामित करते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 17.03.2025 को सम्पन्न अप्रेजल कमेटी की बैठक में स्मारक - डिमरौनी की गढ़ी, झांसी के अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन रू0 353.69 लाख पर समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी है। समिति द्वारा पुरातत्व निदेशालय को एडाप्टिव रियूज को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु यू0पी0पी0सी0एल0 को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संरक्षित स्मारक - डिमरौनी की गढ़ी, झांसी के अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु यू0पी0पी0सी0एल0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रायोजना हेतु **रू0 353.69 लाख (रूपये तीन करोड़ तिरपन लाख उनहत्तर हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, पुरातत्व द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) निदेशक, पुरातत्व द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, पुरातत्व द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, पुरातत्व का होगा।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, पुरातत्व का होगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण / उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(6) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी।

(9) प्रश्नगत संरक्षित स्मारक का अनुरक्षण कार्य गुणवत्तापूर्वक कराया जायेगा। गुणवत्ता में अधोमानक पाये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक, पुरातत्व की होगी।

(10) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, भौतिक/ वित्तीय प्रगति रिपोर्ट पुरातत्व निदेशालय एवं संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे भी उपलब्ध कराये जाएंगे।

(11) स्वीकृत धनराशि आहरित कर संबंधित कार्यदायी संस्था- यू0पी0पी0सी0एल0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 3,53,69,000.00 (रूपये तीन करोड़ तिरपन लाख उनहत्तर हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखाशीर्षक** 4202041061700 उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित विभिन्न स्मारकों/पुरास्थलों का संरक्षण, अनुरक्षण एवं स्थलीय विकास का कार्य व स्मारकों पर सांस्कृतिक सूचना पट्ट की स्थापना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/ 2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या- 181 /2025 / 964 (1)/चार-2025-1909163 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, झांसी।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0, लखनऊ।
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी / सहायक लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।